राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2455/2025

अभिमन्यु सिंह चौहान

–अपीलार्थी

बनाम

अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय,
जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.04.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में आदेश दिनांक 19.07.2024 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को निलम्बित किये 6 माह से अधिक समय हो चुका है, परन्तु अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अपीलार्थी का निलम्बन जारी रखा जाना उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. आलोच्य आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना राज तालाब जिला बांसवाडा में प्रकरण संख्या 130/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.स. एवं आईटी एक्ट धारा 3, 4, 6, 7, 10 सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 2022 में दर्ज होकर अनुंसधान हेतु गिरफ्तार किया गया था। अपीलार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इस कारण से अपीलार्थी को सीसीए नियम के नियम 13(2) के प्रावधानों के

तहत निलम्बित किया गया था। राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''(2) कोई राज्य कर्मचारी जो किसी फौजदारी पोषारोपण पर या अन्यथा, 48 घण्टों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया हो तो उसे हिरासत की तिथि से, 1 उपनियम (1) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी का निलम्बनाधीन रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित हुआ समझा जावेगा और वह आगमी आदेश तक निलम्बन में रहेगा।''

5. अतः उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि 48 घण्टों से अधिक समय तक फौजी प्रकरण के सम्बन्ध में हिरासत में रखे जाने के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को निलम्बित किये जाने का प्रावधान है, जो एक आज्ञापक प्रावधान है। ऐसे में अपीलार्थी को उपरोक्त प्रावधान के तहत निलम्बित किये जाने में हम कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है। अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)